प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

आज़ादी का अमृत महोत्सव

2 मार्च 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित ऋण व्यवहारों के कारण मेसर्स राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:

क्र. सं.	एनबीएफ़सी का नाम	पंजीकृत कार्यालयीन पता	सीओआर सं.	सीओआर जारी करने की तारीख	सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप का नाम
1	राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	आर दत्ता मार्केट, दूसरी मंजिल, ए.टी. रोड, गुवाहाटी, असम – 781001	बी.08.00128	16 अक्तूबर 2000	हेलो लोन, क्रेडिटहब, कोको कैश, फ्लैश लोन, ब्रिज लोन, क्रेजी बी, क्रेडिट वॉलेट, कैशटीएम, यूयू कैश, रुपी प्लस, क्रेडिट रुपी, कैश डैडी, गेट रुपी, कैशिन, क्रेडिट क्लब और रुपी बस।

अतः उपर्युक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफ़आई) का कारोबार नहीं करेगी।

आउटसोर्सिंग और अन्य पक्ष के ऐप के माध्यम से डिजिटल ऋण के परिचालन में उचित व्यवहार संहिता संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन, जिसे सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक माना गया, के कारण उपर्युक्त कंपनी के सीओआर को निरस्त कर दिया गया है। कंपनी अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित वर्तमान नियमों का भी अनुपालन नहीं कर रही थी और ऋण वसूली उद्देश्यों के लिए ग्राहकों के अनुचित उत्पीड़न का सहारा लिया था।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1819